5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3956 /2017 पुनरीक्षण

देवेन्द्र सिंह बुंदेला पुत्र श्री सी.पी.सिंह बुंदेला निवासी खजुराहो तह. राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. बृजेन्द्र सिंह बुंदेला पुत्र श्री सी.पी. सिंह बुंदेला निवासी खजुराहो नारायन कुटी के पास बुन्देला फार्म हाउस तहसील राजनगर जिला छतरपुर
2. कमित सिंह बुन्देला पुत्र श्यामलेजू बुन्देला निवासी ग्राम धौगुवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर
3. रविन्द्र सिंह पुत्र पंचम सिंह निवासी राजनगर तह. राजनगर जिला छतरपुर

.... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधि. द्वारा आज दि. 23-10-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 23-10-17

पेशी दि० 9-11-17

मुकेश भार्गव 23-10-17 एडवोकेट ग्वालियर

<u>न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 81/अ–6/16–17 में पारित आदेश दिनांक 25.9.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3956 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 81/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 2 द्वारा तहसीलदार राजनगर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कार्यवाही के दौरान आपत्तिकर्ता आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 द्वारा अस्वीकार किया जाकर प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु नियत किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक क्र. 2 व 3 ने विक्रय-पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में आवेदन दिया। उक्त आवेदन पर प्रकरण दर्ज होकर आवेदक ने आपत्ति पेश की कि उक्त भूमियों की मौके पर तरमीम नहीं हुई है और अनावेदक क्र. 1 बृजेन्द्र सिंह ने अनावेदक क्र. 2 व 3 को उक्त भूमि का संपूर्ण फ्रंट (अगला भाग) मुख्य सड़क पर विक्रय कर दिया है जो कि अवैध अनाधिकृत व रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के विपरीत है, लेकिन तहसील न्यायालय ने उक्त आपत्ति पर विचार किए बिना आपत्ति निरस्त करने में त्रुटि की है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि राजस्व न्यायालय को यह देखने का अधिकार है कि जिस विक्रय-पत्र के आधार पर क्रेता नामांतरण की मांग कर रहा है उक्त विक्रय-पत्र विक्रेता को करने का	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अधिकार था या नहीं। वर्तमान प्रकरण में भी अनावेदक क्र. 1 ने वाद भूमि का नक्शा तरमीम कराये बिना फ्रंट का पूरा करवा अर्थात 1/2 हिस्सा आवेदक का भी विक्रय कर दिया जबकि अनावेदक क्र. 1 को इस प्रकार का विक्रय-पत्र करने का अधिकार नहीं था। इस कारण तहसील न्यायालय को ऐसे अवैध विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरण करने का अधिकार न होते हुए भी नामांतरण की कार्यवाही संचालित रखी जा रही है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा यह मानते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रेता बृजेन्द्रसिंह का नाम दर्ज है तथा आपत्तिकर्ता/आवेदक का नाम आवेदित भूमि पर दर्ज नहीं होने के कारण आपसी पारिवारिक बटवारा का कोई सार्थक औचित्य न होना मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनका यह निष्कर्ष भी उचित है कि यदि आपत्ति कर्ता को पूर्व में हुए पारिवारिक बटवारा व तरमीम पर कोई आपत्ति है तो उसके विरूद्ध अपील का प्रावधान है । अत: उन्होंने आवेदक की आपत्ति को निरसत करते हुए प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत करने में कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो ।

(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य